Dr. Vandana Suman
Associate professor
Dept. of Philosophy
H.D. Jain College, Ara
M.A semester - 1 Philosophy CC-01
Indian Epistemology & Logic

'Upman' (उपमान)

व्युत्पत्ति के आधार पर 'उपमा अथवा सादृश्य' के द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमान कहा जाता है। दो वस्तुओं में जब सादृश्य का संबंध हो तो उस सादृश्य बोध से भी कुछ ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं। अभी सादृश्य-बोध से प्राप्त एक विशेष प्रकार के ज्ञान को 'उपमान' कहते हैं।

सादृश्य के आधार पर प्राप्त ज्ञान अनेक प्रकार के होते हैं। सादृश्य का बोध बहुधा प्रत्यक्ष के द्वारा भी होता है, जैसे कोई व्यक्ति 'क' देवदत्त नामक किसी व्यक्ति को जानता है, तथा देवदत्त को देखकर उसके विषय में यह भी जानता है कि वह गोरे रंग का, लम्बा पच्चीस वर्ष का युवक है, उसकी कृति ऐसी-ऐसी है, आदि। पुनः वही व्यक्ति 'क' जब किसी अन्य स्थान पर देवदत्त को देखता है और पहचान लेता है कि 'यह वही देवदत्त' है तो 'क' का यह ज्ञान कि 'यह वही देवदत्त है' प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, यद्यपि यह भी एक प्रकार का सादृश्य बोध ही है। अतएव सादृश्य-बोध उपमान के अतिरिक्त अन्य साधनों, यथा प्रत्यक्षादि से भी होता है। दूसरे शब्दों में, सादृश्य के आधार पर प्राप्त प्रत्येक ज्ञान को उपमान नहीं कहते हैं। 'उपमान' सादृश्य के ज्ञान का एक साधन है, यद्यपि सादृश्य-बोध उपमान के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी संभव है।

भारतीय दर्शन में न्याय, मीमांसा और वेदान्त उपमान को ज्ञान के स्वतंत्र साधन के रूप में स्वीकृत करते हैं

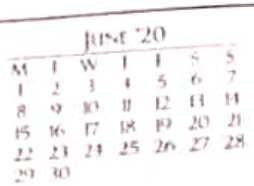

किन्तु अन्य मत उपमान को ज्ञान का स्वतंत्र साधन नहीं मानते। वैशेषिक मत के आचार्य प्रशस्तपाद उपमान को एक प्रकार का अनुमान कहते हैं। जैसा कि सर्वज्ञात है चार्वाक भी प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रमाण को स्वीकार नहीं करते। सामान्यतः जैन भी उपमान का अन्तर्भाव प्रत्यभिज्ञा में करते हैं। बौद्ध भी उपमान को ज्ञान के स्वतंत्र साधन के रूप में स्वीकार नहीं करते। बौद्ध मतानुसार ज्ञान के साधन (प्रमाण) मात्र दो ही हैं — प्रत्यक्ष तथा अनुमान। इनमें स्वलक्षण का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है तथा स्वलक्षण के अतिरिक्त अन्य विषयों का ज्ञान अनुमान से होता है। अतः बौद्ध भी उपमान का अन्तर्भाव अनुमान में ही करते हैं। सांख्य - योग उपमान अथवा सादृश्य-मूलक समस्त ज्ञान को शब्द और प्रत्यभिज्ञा का मिला-जुला रूप कहते हैं। कुछ अन्य दार्शनिक उपमान को प्रत्यक्ष और स्मृति का मिला हुआ रूप कहते हैं।

न्याय, मीमांसा और वेदान्त 'उपमान' को ज्ञान का स्वतंत्र साधन कहते हैं। किन्तु उपमान की रूपरेखा के विषय में न्याय तथा वेदान्त मत में पर्याप्त मतभेद है। उपमान के विषय में मीमांसकों का मत वेदान्त मत से समानता रखता है।

वेदान्त परिभाषा के अनुसार सादृश्य-ज्ञान के उपकरण को 'उपमान'

मानते हैं। जैसे - जिस व्यक्ति ने नगर में गौ को देखा हुआ है किन्तु गवय को कभी नहीं देखा है, जब वन में जाकर गवय को देखता है तो उसके भीतर दो प्रकार के बोध उत्पन्न होते हैं - प्रथमतः यह कि "यह गवय गौ के समान है" (गवयनिष्ठ गोसादृश्यज्ञान), तथा द्वितीयतः यह कि मेरी गौ इस गवय के समान है" (गोनिष्ठ गवयसादृश्यज्ञान)। समानता के इन दो बोधों में प्रथम सादृश्य बोध कि 'यह गवय गौ के समान है' के ज्ञान का कारण (साधन) 'अनुमान प्रमाण' है तथा द्वितीय सादृश्य-बोध कि 'मेरी गौ इस गवय के समान है' उपमान का फल अथवा 'उपमिति' है। वेदान्त परिभाषा के अनुसार गवयनिष्ठ गोसादृश्य ज्ञान को कारण बना कर गोनिष्ठ गवयसादृश्य ज्ञान उपमान है।

नैयायिकों ने उपमान विषयक वेदान्त मत की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रमा अनधिगत विषय अथवा नवीन विषय का बोधक होता है। न्याय मतानुसार यदि वेदान्त प्रदत्त उपमान की व्याख्या को प्रमा की इस कसौटी पर रखें तो उपमान स्वतंत्र प्रमा अथवा प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकेगा क्योंकि 'मेरी गौ इस गवय के समान है' - यह बोध गौ के विषय में कोई भी नवीन ज्ञान प्रदान नहीं करता क्योंकि अपनी गौ के विषय में तो व्यक्ति पहले से ही जान रहा होता है।

न्याय मत की यह

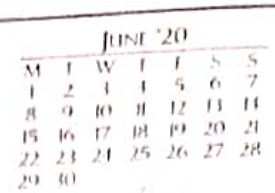

अापत्ति भी उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि वेदान्त कहीं भी उपमान का विषय 'गो' अथवा 'गवय' को नहीं मानता। वेदान्त मत के अनुसार यहाँ ज्ञान का विषय 'सामय' है न कि 'गवय' अथवा 'गो', चूंकि गवय को देखे जाने के पूर्व गाय गो और गवय के बीच इस साम्य का बोध ज्ञाता को नहीं था अतः उपमान यहाँ अनधिगत विषय का ज्ञान दे रहा है।

मीमांसा के दोनों सम्प्रदाय - भाट्ट और प्रभाकर उपमान को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते है तथा उपमान को सादृश्य ज्ञान का साधन कहते है किन्तु भाट्ट और प्रभाकर मीमांसकों में उपमान विषयक एक मतभेद अत्यंत प्रखर है। वह मतभेद यह है कि कुमारिल भट्ट तथा उनके समर्थक दो वस्तुओं के साम्य को उन वस्तुओं से भिन्न कोई यथार्थ वस्तु अथवा कोटि नहीं मानते, जबकि यथार्थवादी प्रभाकर 'गो' और 'गवय' को भांति ही उनकी 'समानता' को भी एक पृथक वस्तु मान लेते हैं। इसप्रकार प्रभाकर मत के अनुसार साम्य की यथार्थ वस्तुपरक स्वतंत्र सत्ता है जिसका ज्ञान उपमान से होता है, जबकि भाट्ट मतानुसार 'साम्य' की स्वतंत्र वस्तुपरक सत्ता नहीं। इसका ज्ञान 'गो' और 'गवय' के ज्ञान से ही हो जाता है।

AUGUST '20
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

SEPTEMBER '20
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

APPOINTMENTS / MEETINGS

न्याय मतानुसार उपमान के तीन चरण या घटक होते हैं —

1. सादृश्य ।
2. अतिदेशवाक्य ।
3. उपमिति ।

न्याय मतानुसार यदि उपमान की प्रक्रिया का विश्लेषण करें तो उपमान मुख्यतः निम्नलिखित तीन चरणों में सम्पन्न होता है —

प्रथमतः किसी अधिकारी व्यक्ति अथवा अतिदेशक द्वारा जिज्ञासु को दिया गया साधर्म्य अथवा वैधर्म्य का बोध, यथा जो व्यक्ति गवय को नहीं जानता उसे वनवासी द्वारा जब यह बतलाया जाता है कि गवय घर में देखी गई गौ के समान होती है, तो सादृश्य का यह अवबोध उपमान का प्रथम चरण है। इसे 'उपमान का कारण' अथवा करण कहा जाता है। इसे ही 'अतिदेशवाक्य' कहा गया है।

पुनः जब जिज्ञासु वन में जाता है और वह गौ के समान उस पशु को देखता है तो उसे इस पशु से अतिदेशक अर्थात वनवासी (जो अधिकारी पुरुष है) के द्वारा निर्दिष्ट अपने घर की गौ के सादृश्य या स्मरण होता है। अतिदेशक के इस कथन को 'अतिदेशवाक्य' तथा द्वितीय चरण के इस समस्त व्यापार को 'उपमान' का 'व्यापार' कहा जाता है।

पुनः जब इन दोनों चरणों के उपरान्त जिज्ञासु को वन में देखे गए

पशु के विषय में यह संज्ञा - संज्ञी ज्ञान उत्पन्न होता है कि 'यह गवय है', तो इस संज्ञा-संज्ञी ज्ञान, यथा, 'यह गवय है', को 'उपमान का फल' अथवा 'उपमीति' कहते हैं।

महर्षि गौतम ने उपमान को साधर्म्य बोध के द्वारा परिभाषित करने की चेष्टा की है किन्तु परवर्ती नैयायिक उद्योतकर ने उपमान के लिए साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों की ही महत्ता स्वीकार की। इसके अतिरिक्त तार्किक वरदराज ने अपनी पुस्तक 'तार्किक रक्षा' में उपमान की विशद विवेचना प्रस्तुत करते हुए साधर्म्य और वैधर्म्य के अतिरिक्त 'विचित्र धर्म' अथवा 'धर्ममात्रता' को भी उपमान का आधार बतलाया इसके अतिरिक्त विश्वनाथ ने एक चौथे प्रकार के उपमान की भी चर्चा की। इस प्रकार न्याय के मतानुसार उपमान के चार प्रकार हैं —

(1) साधर्म्य — जब दो वस्तुओं में साधर्म्य के कारण संज्ञा - संज्ञी संबंध बोध होता है तो यह एक प्रकार का उपमान है। यथा, गौ की समानता के आधार पर जंगल में देखे गए पशु के विषय में यह ज्ञान कि 'यह गवय है।'

(2) जब वैधर्म्य के कारण से उपमीति प्राप्त हो अथवा वैधर्म्य के कारण संज्ञा - संज्ञी संबंध का

बोध होता यह एक अन्य प्रकार की उपमीति है यथा ऊपर बतलाए गए उदाहरण में अपने स्व-गात्र-भेद के कारण अन्य पशुओं से अपने विभेद के आधार पर हुआ। यह एकांगता है का ज्ञान।

(3) जब किसी विचित्र गुण के कारण से उपमीति प्राप्त हो अथवा संज्ञा-संज्ञी संबंध का बोध हो तो यह अन्य प्रकार की उपमीति है, यथा यदि कोई व्यक्ति ऊँट को नहीं जानता हो किन्तु उसने सुन रखा हो कि वन में ऊँट नामक पशु होते हैं और तब यदि वह वन में एक ऐसे विचित्र पशु को देखे जिसे उसने उसके पूर्व न देखा हो तो यह संज्ञा-संज्ञी ज्ञान अन्यप्रकार का उपमान होगा।

(4) विश्वनाथ ने चौथे प्रकार के उपमान की चर्चा करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी से सुनकर यह जानता है कि मूँग के आकार के पौधे को विषहरी कहते हैं तथा पुनः इस आधार पर किसी पौधे का देखकर पहचान लेता है कि यह विषहरी औषधी है तो यह ज्ञान भी एक अन्य प्रकार की उपमीति है।

तर्कभाषा के अनुसार इससे स्पष्ट है कि उपमान मात्र संज्ञा-संज्ञी संबंध ज्ञान नहीं वरन विलक्षण साधन व अन्य पदार्थों का निश्चयात्मक भी है।

भारतीय वेदान्त और मीमांसा मत के अनुसार उपमान कोई अनाविष्कृत प्रमेय नहीं है बल्कि इसमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। वस्तुतः किसी भी प्रमाण का यह अनिवार्य लक्षण है कि वह प्रमा का साधन है। वेदान्त एवं मीमांसा मतानुसार ज्ञान प्रमा की कोटि में तभी है जब वह अनधिगत अर्थात नवीन हो। इसप्रकार अनुमान को प्रमाण कहने का अर्थ भी यह है कि उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान नवीन होता है मात्र शब्दों का पुनरुक्ति नहीं।

श्री कृष्ण शास्त्री ने यह प्रश्न उठाया है कि उपमान का क्या महत्व है? श्री शास्त्री के अनुसार उपमान के द्वारा ही वेदान्ती यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि पारमार्थिक सत्ता प्रातिभासिक सत्ता के समान नहीं है। उपनिषदों में भी दृश्य जगत के आधार पर अद्वैत के बारे में जो कथन मिलता है वे उपमान के ही उदाहरण हैं।

इसप्रकार भारतीय दर्शन में ज्ञान के जो ये साधन सर्वाधिक खंडन-मंडन करते हैं उनमें से एक उपमान भी है।